न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 139/2019
निर्णय दिनांक : 11/11/2022

1. कल्लीदेवी धर्मपत्नी स्व0 रणजीता जाति मीना
2. नेताराम पुत्र स्व0 रणजीता जाति मीना
3. प्रहलाद पुत्र स्व0 रणजीता जाति मीना
4. मोहन पुत्र स्व0 रणजीता जाति मीना
5. रमेशकुमार पुत्र स्व0 रणजीता जाति मीना
6. पप्पूडी धर्मपत्नी स्व0 पप्पू जाति मीना
7. महेन्द्र पुत्र स्व0 पप्पू जाति मीना
   निवासीगण ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

............वादीगण

बनाम

1. मीठालाल पुत्र स्व0 मोहरू जाति मीना
2. महेश उर्फ मालूराम पुत्र स्व0 मोहरू जाति मीना
3. बजरंग पुत्र स्व0 मोहरू जाति मीना
4. धन्नालाल पुत्र स्व0 मोहरू जाति मीना
5. सूजा देवी धर्मपत्नी स्व0 मोहरू जाति मीना, निवासीगण नायावाली ढाणी, मोहनपुरा रोड, ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. गीता देवी पत्नी स्व0 श्री बदरी पुत्री स्व0 मोहरू जाति मीना, निवासी बिशनगढ पोस्ट लालगढ तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. बरजी देवी पत्नी श्री शंकरलाल पुत्री स्व0 मोहरू जाति मीना, निवासी लालगढ तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक वाद पत्र न्यायालय में पेश किया। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार [illegible] वाटिका पटवार हल्का वाटिका भू.अभि.नि.क्षेत्र वाटिका अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

में वादीगण एंव मृतक श्री छोटू पुत्र नानू जाति मीना एंव मृतक श्री मोहरू पुत्र नानू जाति मीना संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3904 रकबा 0.4300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3905 रकबा 0.1900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3906 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3907 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3908 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3928 रकबा 0.9800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3929 रकबा 0.1300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3932 रकबा 0.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3933 रकबा 0.3800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4051 रकबा 0.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4052 रकबा 0.0800 हैक्टयर कुल किता 11 खसरा नम्बरान् का कुल रकबा 3.0000 हैक्टयर स्थित है, जिसे की इस वाद पत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण का संयुक्त हिस्सा 1/2 है तथा मृतक श्री छोटू का हिस्सा 1/4 एंव मृतक श्री मोहरू का हिस्सा 1/4 है, छोटू का स्वर्गवास हो चुका है तथा छोटू नाऔलाद फोत हुआ है तथा छोटू का एकमात्र विधिक वारिस उसका खास भ्राता मोहरू है तथा उक्त श्री मोहरू का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा मोहरू के विधिक वारिसान् में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 है, इस प्रकार उक्त मृतक छोटू एंव मोहरू के विधिक वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में हिस्सा 1/2 के खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 में निहित है, स्व0 छोटू एंव मोहरू के हक व हिस्से का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में खोला जाना अभी शेष है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 अपने–अपने हक व हिस्सेनुसार भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार स्वतन्त्र रूप से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है एंव वर्तमान में भी वादीगण अपने हक व हिस्सा के अनुसार काबिज है, किन्तु वादग्रस्त भूमि का अन्तिम एंव कानूनी रूप से विभाजन नही होने से वादग्रस्त भूमि भू–राजस्व अभिलेखों में सयुंक्त कृषि जोत के रूप में अंकित है। वादीगण खातेदार काश्तकार के रूप में वादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग एंव उपभोग करते आ रहे है, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की नियत में फितुर आ गया है तथा ये वादीगण के हक हिस्से में आई कृषि भूमि पर जोर जबरन से नाजायजपूर्वक कब्जा करना चाहते है और वादीगण को उसके हक व कब्जे काश्त की भूमि से नाजायज रूप से बेदखल करना चाहते है और वादीगण के उपयोग एंव उपभोग में बाधा पहुचातें है और वादग्रस्त भूमि का विधिवत् तकासमा कराये बिना वादग्रस्त भूमि को बेचना चाहते है, अवैध रूप से निर्माण करना चाहते है, अवैध रूप से रोड का निर्माण कर प्लांटिग करना चाहते है, प्रतिवादीगण संख्या एक व दो रोजाना अपरिचित व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आते है और वादीगण के हक, हिस्से कब्जे काश्त की भूमि से वादीगण को नाजायज रूप से बेदखल करने की धमकीयां देते रहते है, इस कारण वादीगण के हक में यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण वा[illegible] में अपने दर्ज हक व हिस्सानुसार भूमि का विधिवत् रूप से तकासमा [illegible] तथा प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 लगायत 7 को उक्त कृत्य नही करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पाबन्द करायें। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को कई मर्तबा तकासमा हेतु निवेदन कर चुके है, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने तकासमा करवाने से आज तक इन्कार किया है तथा दिनांक 14–10–2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को अवैध रूप से वादग्रस्त कृषि भूमि पर निर्माण कार्य नही करने, अवैध प्लाटिंग नही करनें, अवैध रोड नही निकालने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को तकासमा करने का निवेदन किया तो इससे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने स्पष्ट मना करते हुए कहा कि हम वादग्रस्त भूमि का कोई तकासमा नही करवायेगें तथा इसे अन्यत्र हस्तांतरित कर देगें तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने कहा कि हम वादीगण के उपयोग एंव उपभोग में बाधा कारित करेगें, वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर इसकी किस्म बदल देगें, इस पर अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध रोड निकाल देगें, जिसका की प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को कोई अधिकार नही है। वादीगण अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के दर्ज हिस्सा 1/2 के अनुसार भूमि का विधिवत् रूप से बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस् तकासमा करावें तथा विभाजित भूमि का पृथक से खाता कायम करावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें कि वे बिना विधिवत तकासमा वादग्रस्त भूमि का विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें, वादग्रस्त भूमि पर कोई अवैध निर्माण कार्य, प्लाटिंग कार्य नही करें, अवैध रूप से सडक डालने का कार्य नही करें, वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग एंव उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत ना स्वंय करे और ना किसी अन्य से करावें तथा रिकार्ड एंव मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें, प्रतिवादी संख्या 8 रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। वादीगण को वादकारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के द्वारा दिनांक 14–10–2019 को वादग्रस्त भूमि बाबत विभाजन कराने से स्पष्ट इन्कार करने एंव अवैध निर्माण आदि करने व अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध रोड निकाल देने की ऐलानिया धमकी से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण के निहित हक व हिस्से का विधिवत् रूप से बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् विभाजन किया जाकर वादी के हक व हिस्सा की भूमि का लगान अलग से कायम किया जावें, वादी का खाता पृथ्क से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया गया । प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 ने वादग्रस्त भूमि का कब्जे व मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर विधिवत तकासमा करने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की। वकील वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को बाबत वाद पत्र सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादीगण ने दौराने बहस प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा है, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का हिस्सा 1/2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है, वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पक्षकारान् के मध्य विधिवत् रूप से नही हुआ है, इसलिए विवादग्रस्त आराजीयात् का बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर विभाजन कर खाता व लगान अलग–अलग कायम किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् मुताबिक हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होना पाया जाता है। वादीगण विवादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से का बंटवारा विधिवत् करवाने का हकदार है। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को भी कोई आपत्ति नही है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 24.03.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया गया कि बाई मिट्स एण्ड आउण्डस के आधार पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में राजस्व रिकार्ड के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 13.04.2022 से पूर्व भिजवाई जावे। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/8322 दिनांक 23.09.2022 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। बहस वकील वादीगण कुर्रेजात रिपार्ट पर सुनी गयी। दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत पेश नही की एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तकासमा किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वादीगण एवं कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 3904 रकबा 0.4300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3905 रकबा 0.1900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3906 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3907 रकबा 0.1000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3908 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3928 रकबा 0.9800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3929 रकबा 0.1300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3932 रकबा 0.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 3933 रकबा 0.3800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4051 रकबा 0.0700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 4052 रकबा 0.0800 हैक्टयर कुल किता 11 खसरा नम्बरान् [illegible] रकबा 3.0000 हैक्टयर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

क्र. स.	वर्तमान इन्द्राज						
	नाम ग्राम	जमाबंदी खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	सह खातेदारों के नाम मय पिता/पति व पता
1	2	3	4	5	6	7	8
	वाटिका	720	3904 3905 3906 3907 3908 3928 3929 3932 3933 4051 4052	0.43 0.19 0.10 0.10 0.05 0.98 0.13 0.49 0.38 0.07 0.08	चाही1 चाही1 चाही1 चाही1 गै.मु.चाह चाही1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही । चाही।		कल्ली देवी पत्नि स्व. रणजीता हिस्सा 1/12, जाति मीना, सा. देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, गीता पुत्री मोहरू हिस्स 1/14, जाति मीणा, सा. देह खातेदार, धन्ना लाल पुत्र मोहरू, हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा. देह खातेदार, नेताराम पुत्र रणजीता, हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. देह खातेदार पप्पूडी पत्नि स्व. पप्पू, हिस्सा 1/24, जाति मीना सा. देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/24 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, प्रहलाद पुत्र रणजीता, हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, बजरंग पुत्र मोहरू हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा.देह खातेदार, बरजी पुत्री मोहरू, हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा.देह खातेदार, महेन्द्र पुत्र पप्पू, हिस्सा 1/24 जाति मीना, सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/24 पूर्ण [illegible]टेट बैंक ऑफ बीकानेर [illegible] शाखा वाटिका, महेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

							उर्फ मालूराम पुत्र मोहरू, हिस्सा 1/14 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, मोहन पुत्र रणजीता, हिस्सा 1/12 जाति मीना, सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सास 1/12 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, रमेशकुमार पुत्र रणजीता, हिस्सा 1/12 जाति मीना, सा, देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा वाटिका, सूजा पत्नि स्व. मोहरू, हिस्सा 1/14 जाति मीना, सा.देह खातेदार,
			11	3.00			

	प्रस्तावित इन्द्राज						
क्र. स.	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.व	खातेदारों के नाम मय पिता/पति व पता	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3905 3906 3907 3908 3928मेंसे 3933में से 4052	0.19 0.10 0.10 0.05 0.64 0.34 0.08	चाही1 चाही1 चाही1 गै.मु. चाह चाही1 चाही1 चाही1				कल्ली देवी पत्नि स्व. रणजीता हिस्सा 1/6, जाति मीना, सा. देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/6 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, नेताराम पुत्र रणजीता हिस्सा 1/6 जाति मीना सा.देह खातेदार, पप्पूडी पत्नि स्व. पप्पू, हिस्सा 1/12, जाति मीना सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा वाटिका, प्रहलाद पुत्र रणजीता [illegible] 1/6 जाति मीना सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा [illegible] खाता, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (शिवदासपुरा)

							जयपुर, शाखा वाटिका, महेन्द्र पुत्र पप्पू , हिस्सा 1/12 जाति मीना, सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, मोहन पुत्र रणजीता, हिस्सा 1/6 जाति मीना, सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा1/6 पूर्ण खाता ,स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, रमे ाकुमार पुत्र रणजीता हिस्सा 1/6 जाति मीना सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/6 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा वाटिका,
			07	1.50			
2	3904 3929 3928मेंसे 3933मेंसे 3932 4051	0.43 0.13 0.34 0.04 0.49 0.07	चाही1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही1				गीता पुत्री मोहरू हिस्सा 1/7, जाति मीणा, सा.देह खातेदार, धन्ना लाल पुत्र मोहरू, हिस्सा 1/7, जाति मीणा सा.देह खातेदार, बजरंग पुत्र मोहरू हिस्सा 1/7 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, बरजी पुत्री मोहरू, हिस्सा 1/7, महेश उर्फ मालूराम पुत्र मोहरू, हिस्सा 1/7 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, मीठालाल पुत्र मोहरू, हिस्सा 1/7 जाति मीणा, सा. देह खातेदार, सूजा पत्नि स्व. मोहरू, हिस्सा 1/7 जाति मीना, सा.देह खातेदार,
			06	1.50			

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

							जयपुर, शाखा वाटिका, महेन्द्र पुत्र पप्पू , हिस्सा 1/12 जाति मीना, सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/12 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, मोहन पुत्र रणजीता, हिस्सा 1/6 जाति मीना, सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा1/6 पूर्ण खाता ,स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा वाटिका, रमे ाकुमार पुत्र रणजीता हिस्सा 1/6 जाति मीना सा.देह खातेदार, राहिन हिस्सा 1/6 पूर्ण खाता, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा वाटिका,
			07	1.50			
2	3904 3929 3928मेंसे 3933मेंसे 3932 4051	0.43 0.13 0.34 0.04 0.49 0.07	चाही1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही1 चाही1				गीता पुत्री मोहरू हिस्सा 1/7, जाति मीणा, सा.देह खातेदार, धन्ना लाल पुत्र मोहरू, हिस्सा 1/7, जाति मीणा सा.देह खातेदार, बजरंग पुत्र मोहरू हिस्सा 1/7 जाति मीणा सा0 देह खातेदार, बरजी पुत्री मोहरू, हिस्सा 1/7, महेश उर्फ मालूराम पुत्र मोहरू, हिस्सा 1/7 जाति मीणा, सा.देह खातेदार, मीठालाल पुत्र मोहरू, हिस्सा 1/7 जाति मीणा, सा. देह खातेदार, सूजा पत्नि स्व. मोहरू, हिस्सा 1/7 जाति मीना, सा.देह खातेदार,
			06	1.50			

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/11/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.27 11:19:09 IST
Reason: SelfAttested